

भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2632
05 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

सीमित जल संसाधन वाले क्षेत्रों में मत्स्यपालन को बढ़ावा देना

2632. श्री मुरारी लाल मीना:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कम जल संसाधन वाले राजस्थान जैसे राज्य में सीमित संभावनाओं के बावजूद स्थानीय स्तर पर मत्स्यपालन का विस्तार किया जा सकता है;
- (ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई विस्तृत मूल्यांकन या अध्ययन किया है कि सीमित जल संसाधन वाले क्षेत्रों में मत्स्यपालन को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता;
- (ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में राजस्थान के लिए कोई विशेष योजना तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत लोक सभा क्षेत्र दौसा में भी तालाबों, बाँधों या अन्य जल स्रोतों के माध्यम से मत्स्यपालन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं; और
- (घ) राजस्थान में मत्स्यपालन को बढ़ावा देने के लिए अब तक किन-किन जिलों में ये योजनाएँ कार्यान्वित की गई हैं और इसके लिए दौसा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र सहित कितनी वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान की गई है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने विगत पाँच वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान, प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत राजस्थान में फिशरीस इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास तथा मात्रियकी एवं जल कृषि संवर्धन के लिए 22.22 करोड़ रुपए के केंद्रीय शेयर सहित कुल 66.12 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान सरकार के मात्रियकी विकास प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। राजस्थान राज्य में जलाशयों, सिंचाई बांधों और ग्रामीण तालाबों की उल्लेखनीय संख्या है, जो वैज्ञानिक प्रबंधन और नई तकनीकों को अपनाकर मत्स्य उत्पादन में वृद्धि की संभावनाएँ प्रदान करते हैं। न्यूनतम जल और भूमि संसाधनों के साथ मात्रियकी और जलीय कृषि के विकास के लिए राजस्थान सरकार के मत्स्यपालन विभाग द्वारा शुरू की गई और कार्यान्वित की गई प्रमुख पहलों में (i) नई फिन फिश हैचरी की स्थापना, (ii) बायो फ्लोक इकाइयों की स्थापना, (iii) री-सर्क्युलेटरी एकाकल्चर सिस्टम यूनिट्स की स्थापना, (iv) ओरनामेंटल फिश यूनिट्स की स्थापना, (v) नए तालाबों का निर्माण और (vii) जलाशय केज का निर्माण शामिल है।

(ख): राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने राज्य में लवणीय जलीय कृषि सहित मात्रियकी और जलीय कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए ICAR- सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, मुंबई और ICAR- सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिशवॉटर एकाकल्चर के परामर्श से एक कार्य योजना तैयार की है।

(ग) और (घ): दौसा लोकसभा क्षेत्र सहित राज्य में कार्यान्वित प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ मत्स्य उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, पोस्ट-हारवेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्रबंधन, वैल्यू चैन का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, पोस्ट-हारवेस्ट नुकसान में कमी आदि में महत्वपूर्ण कमियों (क्रिटिकल गैप्स) को दूर करना है। राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि विगत 5 वर्षों के दौरान, निजी क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, 3.50 हेक्टेयर पर मत्स्य तालाब के निर्माण के लिए 04 मत्स्य किसानों को स्वीकृति जारी की गई है और दौसा जिले के बंध मोरेल में केज कल्चर परियोजना स्थापित करने के लिए 03 मत्स्य किसानों को स्वीकृति जारी की गई है।
